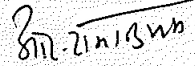


3. मुझे, आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि आप उक्त प्रणाली को कारगर बनाने की व्यवस्था करें ताकि ऐसे बेईमान लोगों को जो अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्गों के नहीं हैं, झूठे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रोजगारों को हासिल करने से रोका जा सके। उचित होगा कि आप जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों/जिला कलेक्टरों/जिला उप-आयुक्तों को इस आशय के अनुदेश जारी कर दें कि वे अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करें कि सम्बद्ध जिला प्राधिकारी उनको भेजे गए जाति/समुदाय प्रमाण-पत्रों की वैधता सत्यापित कर एक माह के भीतर इसकी सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को दे दें। झूठे/नकली प्रमाण-पत्र रखने वाले उम्मीदवारों तथा जिला स्तर अथवा उप जिला स्तर के कर्मचारियों के बीच साठ-गांठ को समाप्त करने हेतु ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई आरंभ की जाए जो ऐसे मामलों में जातीय स्थिति का सत्यापन समय पर करने में असफल रहते हैं अथवा झूठे प्रमाण-पत्र जारी करते हैं।

भवदीय,



(आर. रामानुजम)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार